

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को शाम 6:00 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आगरा स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में आगरा जिलाधिकारी (नवनिर्वाह में), आगरा, सहायक सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),

श्री विरेन्द्र सहायक अभियंता, लघु सिंचाई, श्री सुमित कुमार सिंह, बी०ई०सी०, जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, श्री मनीष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री अमित रावत, ए०सी०एच०सी०, श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, उप प्रभागीय पंचाधिकारी, श्री सैलेन्द्र कुमार शर्मा, डी०आई०सी०, श्री दीपक कुमार, ए०एच०सी०, श्रीमती रंजु कुमार, पी०डी० डी०आर०डी०ए० श्री ललित कुमार, सहा०अभि०, श्री रविन्द्र जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री आनन्द कुमार सिंह, जिला समन्वयक, डीपीएम, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लिंग से श्री रमेश कृष्णा, डीजीएम, मै० गंगा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री नवीन बजराला, प्रोजेक्ट मैनेजर और श्री दीपक कुमार डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

बैठक में सतही स्त्रोत आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -

मै० एन०सी०सी०-एचको(जे०बी०), पैकेज-01

- भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सी०डब्ल्यूआर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। 06 सी०डब्ल्यूआर पर 51-75 प्रतिशत एवं 11 सी०डब्ल्यूआर पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा आरएगसी प्लॉट पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जावे।
- पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सी०डब्ल्यूआर तथा 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 17 सी०डब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- पाइप लेइंग -** सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप विछाये जाने के सापेक्ष 1100.98 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी एवं DI Pipe 1802.40 किमी विछाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 156.74 किमी एवं DI Pipe 1708.19 किमी पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 76.79 किमी एवं DI Pipe 1024.19 किमी पाइप लाइन विछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीजीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि टीम व मैनपावर की संख्या बढ़ाते हुए स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में सहायक अभियन्ता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1100.98 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 201.06 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीजीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जावे। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं की उपस्थिति में की जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जो पाइप विछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जावे जिससे भविष्य में पानी लीकोज की समस्या न हो।
- रोड़ रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० द्वारा रोड़ डिस्मेंटलिंग 20.69 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 5.38 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रोड़ 15.31 किमी रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के संबंधित जू० इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत के लेखपाल की उपस्थिति में रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि मै० एन०सी०सी० पर कुल 79 एन०सी० लगायी गयी थी जिसमें से 76 एन०सी० का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 03 एन०सी० अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० एन०सी०सी० के डीजीएम, को

निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लवित एन०सी० का नियमानुसार पूर्ण कराई तथा अनुपातन आख्या भिजावें।

1. एन०ओ०सी०- जिलाधिकारी महोदय द्वारा १० एन०सी० को डीपीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टीमेंट फीस के भुगतान को तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेलवे एवं विभाग से सन्धित जितनी भी एन०सी० पेंडिंग है उसको लिए सम्बन्धित अधिकारी से बात कर प्रभावी वैधता सुनिश्चित करें।

मै० मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, पीकेज-02

1. अवर जलराशय (OHT) की प्रगति- अधिकांशी अभियंता ए०ए० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संख्या मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 388 ओएचटी पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 258 ओएचटी पर 0-25 प्रतिशत, 94 ओएचटी पर 26-50 प्रतिशत, 44 ओएचटी पर 51-75 प्रतिशत, 10 ओएचटी पर 76-78 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि 371 ओएचटी पर टीपीएम का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बची हुई 17 ओएचटी पर सुधार का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 16 ओएचटी पर कार्य अनारम्भ है। 232 ओएचटी शरण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 92 ओएचटी पर स्टैजिंग रीम का कार्य हो चुका है। 46 ओएचटी पर स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से 10 ओएचटी पर थिंक एलम टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। टीपीआई द्वारा बताया गया 1888 के सापेक्ष मात्र 167 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए मै० मेघा इंजी० के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ाए एवं कार्य को सफल मुन्यता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची 36 ओएचटी पर शीप ही खुदाई/सीसी का कार्य कराएँ।
2. पाइप लेइंग- अधिकांशी अभियंता ए०ए० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6333 किमी० पाइप के आपूर्ति हो जा चुकी है तथा कुल 4414 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए मुन्यता मानकों का पालन करते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टीपीआई को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. हाइड्रोटेस्टिंग- सहायक मै० मेघा के अधिकांशी अभियंता ए०ए० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 44*4 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 1337.40 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा टीपीएम, मै० मेघा इंजी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अवर अभियंताओं की ज्यादा उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की संख्या न हो।
4. रोड रेस्टोरेशन- अधिकांशी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संख्या मै० मेघा इंजी० द्वारा रोड डिस्मेंटलिंग 1290.03 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 978.00 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 312.03 किमी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य लवित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। मै० मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी०सी० रोड की कटिंग जे०सी०सी० से न करवाकर रोड कटर से कराये व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन कराएँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मुन्यता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के सम्बंधित जूट इंजीनियर की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ सम्बन्धित सहायक अभियंताओं द्वारा रोकटी गेज का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।
5. मॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट- टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै० मेघा इंजीनियरिंग को कुल 166 एन०सी० लगायी गयी थी जिसमें से 118 एन०सी० का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 48 एन०सी० अभी लवित है जिसको अभी तक कार्यवाही संख्या द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० मेघा इंजीनियरिंग को डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द तांत्रिक एन०सी० को नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. एन०ओ०सी०- अवर जिलाधिकारी, नगानि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति द्वारा बताया गया कि मै० मेघा इंजी० द्वारा एन०ओ०सी० के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है वन विभाग में NOC के लिए मै० मेघा इंजी० द्वारा ऑनलाइन

आवेदन नहीं किया गया। अतः 10 मेवा इंजीनियरिंग के सीपीएम को निर्देशित किया गया कि वन विभाग की एनओएसओ तकाल अप्लाई करें।

अतः आज सत्री को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के ओएसटी मीटिंग्स/कार पर निर्माण कार्य तथा पाइप लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्राइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार तीव्र गति से पूर्ण कराये, नल संयोजन प्रत्येक घंटा में घंटों के अन्दर किये जाये। रोड रेस्टोरेशन के वर्कों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाये तथा सुरक्षा मानकों का अधिकतम रूप से पालन किया जाये। यदि भविष्य में निरीक्षण में उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इतत सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत की पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार तुरंतगत धाराओं/शर्तों के आधार पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सत्री का होगा।


अधिरात्री अभियंता/ सदस्य सचिव
(जिला पैपजल एवं स्वच्छता मिशन)
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा। (नाममि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 1182 /जेओएसओ/काओ/ नैटक

दिनांक 13-10-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिरात्री निर्देशक महोदय राज्य पैपजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवगतोकार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. अपर जिलाधिकारी, नाममि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अधिरात्री अभियंता, जल निगम (वि/सी), आगरा को इस निर्देश के साथ जड़ी-जड़ी विहित कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
6. रामरत राहायक अभियंता जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. सीपीएमओ, क्लिन्डर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुसंधान इकाई (सीपीओएसओ), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. सीपीएमओ, मैसर्स एनओएसओ एचके (वेस्टी) (प्राइवेट) आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स मेधा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्राइवेट) आगरा को अनुपालनार्थ।


अधिरात्री अभियंता/ सदस्य सचिव